न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर, छ.ग.
रा.प्र.क. 202310075300033/अ–6/23–24,
मौजा– बहतराई, तहसील बिलासपुर, छ.ग.
आवेदक–श्रीराम सरिता बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड,
आशीष गुप्ता पिता रामनिवास,

03/09/2024	–प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर से प्रतिवेदन सहित प्राप्त। –प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक को उनके निजी भूमि स्वामी हक एवं कब्जे की भूमि के अतिरिक्त उपलब्ध अन्य भूमि के स्वरूप को अपरिवर्तित रखने की शर्त पर हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा को प्रतिहस्ताक्षर सत्यापित करते हुये आवेदक को प्रदाय किया गया एवं वर्तमान में मौका निरीक्षण में आवेदक द्वारा मिट्टी डालकर अपने भूमि तक पहुँचने हेतु अस्थायी रास्ता के रूप में खसरा नंबर 293 का उपयोग किया जा रहा है। –उपरोक्त आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पुनर्विलोकन की अनुमति मॉग की गई है। –अतएव प्रकरण का परिशीलन उपरान्त अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा रा.प्र.क. 20310075300033 /अ–6/23–24, पक्षकार–श्रीराम सरिता बिल्डर्स एंड कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड आशीष गुप्ता आ. रामनिवास में पारित आदेश दिनॉक 06.11.2023 की पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किये जाने हेतु छ. ग.भू. रा. संहिता, 1959 की धारा–51 के अधीन पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाती है। –प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर को मूलतः वापिस। अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर, छ.ग. अनुविभागीय अधिकारी (रा) बिलासपुर(छ.ग.) अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर, छ.ग.

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार–2, बिलासपुर (छ.ग.)

राजस्व आदेश अनुवृत्ति–पत्र

पक्षकार – श्रीराम सरिता बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड(आशीष गुप्ता) विरूद्ध शासन

आनलॉन क. 202310075300033/अ-121/2023–24 मौजा – बहतराई प.ह.नं. 48

1	2	3
23/09/24	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी(रा.) बिलासपुर से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने उपरांत वापस प्राप्त। प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 06/11/2023 पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने से स्वयमेव शून्यवत हो गया है। प्रकरण में आवेदक श्रीराम सरिता बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भागीदार आशीष गुप्ता पिता रामनिवास निवासी बहतराई तह व जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा मौजा बहतराई प.ह.न. 48 स्थित भूमि खसरा नंबर 298/1, 299/4 रकबा 0.129, 0.134 हे. भूमि से लगे शासकीय भूमि खसरा नंबर 293 है, पर आने जाने हेतु 30 फिट चौड़ा रास्ता उक्त शासकीय भूमि पर आवामन हेतु रास्ता प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों के अवलोकन पारिशोलन से भूमि बंटन/व्यवस्थापन के संबंध में लागू छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्र. एफ–7–117/सात–1/2011 वर्ष 2011 के अनुसार सार्वजनिक मार्ग, आवेदित कॉलोनी भू–खण्ड के मध्य शासकीय भूमि अथवा निजी भूमि है को पहूँच मार्ग हेतु शासकीय भूमि का आबंटन नियमानुसार मार्ग निर्माण हेतु किया जा सकेगा, अतः आवेदक उपरोक्त पत्र अनुसार भूमि बंटन हेतु समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रकरण में प्रस्तुत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रारंभ से ही विधि संगत नहीं है। अतः प्रकरण मे पूर्व की गयी समस्त कार्यवाही एवं आदेश वैधानिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किया जाता हैं। वाचक आवेदक से टीप करवाने उपरांत नस्तीबद्ध कर दा.द.हो। अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर (छ0ग0)	